

13-05-25

पत्रकारान के अधिवक्ता तप / अनु/पीठसीन
अधिकांश दिगम प्रशासनेक कया में अस्त है
पत्रावली वास्त विप्रार्थी इतपत्तर
दिनांक 17-07-2025 को पेश है।

17/7/25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी संख्या 1 व 19 के अधिवक्ता अनुपस्थित। मूलवाद के आदेशानुसार शेष विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। विप्रार्थी संख्या 1 व 19 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बन्द किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है, जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम दृष्टता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कमिस्टर
(S.D.O.) जालोतरा